पीठासीन अधिकारी:—दिनेशकुमार मण्डोवरा R.A.S.

1. गोपाल लाल पिता दौलतराम जी तेली आयु वयस्क निवासी गोमाना तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान ।
2. राधेश्याम पिता दौलतराम जी तेली आयु वयस्क निवासी गोमाना तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान ।
3. मु0 हुलासीबाई पत्नि दौलतरामजी जाति तेली आयु वयस्क निवासी गोमाना तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान ।

—वादीगण

::बनाम::

1. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ ।

—प्रतिवादी

तारीख निर्णय 6/7/2017 मुकदमा नम्बर 59/17 रे0दा0

:: निर्णय ::

वादीगण ने दिनांक 15—6—2017 को एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 के तहत प्रस्तुत किया कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी मौजा बरकटी पटवार हल्का स्वरूपगंज तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ में स्थित होकर खसरा नम्बर 269/554 रकबा 0.21 हैक्टयर उक्त आराजी न्यायालय की डिकी से वादीगण के खातेदारी में दर्ज हुई एवं उसी अनुसार नक्शें में भी दर्ज हुई उक्त डिकी में किस्म जमीन पडत व मेड दर्ज कि जानी थी लेकिन रास्ता दर्ज दर्ज कर दी गई । डिकी एवं निर्णय में उक्त पत्रावली में रिर्पोट भी किस्म जमीन पडत एवं मेड है लेकिन जमाबन्दी में रास्ता दर्ज कर दी गई वादीगण को किस्म जमीन पडत एवं मेड दर्ज किये जाने का दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हूँआ ।

वादीगण का दावा रजिस्टर दर्ज किया गया एवं प्रतिवादी को जरीये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से जबाव में स्वीकार किया कि उक्त किस्म जमीन पडत व मेड दर्ज किया जावे तो किसी प्रकार की कोई आपत्ती नही है ।

यह कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत डिकी की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं तहसीलदार साहब के जबाव का अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्र्कश पर पहुॅचा हूँ कि वादीगण का प्रस्तुत दावा स्वीकार किये जाने योग्य है वादीगण की और से अपने शपथ—पत्र में उक्त सारे तथ्यों की पुष्टि की है इसलिए वादीगण का दावा स्वीकार किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश दिया जाता है कि वादीगण के हक में वाद पत्र डिकी किया जाकर वादीगण के खातेदारी की आराजी मौजा बरकटी पटवार हल्का स्वरूगंज के आराजी नम्बर 269/554 रकबा 0.21 हैक्टयर जमीन कि किस्म वर्गीकरण में पडत एवं मेड दर्ज किया जावे । न्याय आपके द्वार की भावना को ध्यान में रखते हुवे वादी के हक में पारित डिकी दिनांक 29—11—2017 की पालना बाबत तहसीलदार को लिखा जावे कि जिसमें किस्म जमीन पडत व मेड दर्ज कि जावे ।

06.7.17

उपखण्ड अधिकारी